पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–23/2018 (खंड–II)/....................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु,
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
खगड़िया/शेखपुरा/भागलपुर/रोहतास/जहानाबाद/जमुई/समस्तीपुर।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010016 मद में कुल ₹417.927 लाख (चार करोड़ सतरह लाख बानवे हजार सात सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश संख्या–266/आ0प्र0 दिनांक 28.01.19 द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत ।
उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान
मांग संख्या– 39 विस्तृत शीर्ष– 37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष– 01–अनुग्रह अनुदान

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	खगड़िया	461.149 (चार करोड़ इकसठ लाख चौदह हजार नौ सौ)	5.80 (पाँच लाख अस्सी हजार)	466.949 (चार करोड़ छियासठ लाख चौरानवे हजार नौ सौ)
2	शेखपुरा	88.00 (अठासी लाख)	44.00 (चौवालीस लाख)	132.00 (एक करोड़ बत्तीस लाख)
3	भागलपुर	816.00 (आठ करोड़ सोलह लाख)	96.00 (छियानवे लाख)	912.00 (नौ करोड़ बारह लाख)
4	रोहतास	200.00 (दो करोड़)	140.127 (एक करोड़ चालीस लाख बारह हजार सात सौ)	340.127 (तीन करोड़ चालीस लाख बारह हजार सात सौ)
5	जहानाबाद	132.00 (एक करोड़ बत्तीस लाख)	32.00 (बत्तीस लाख)	164.00 (एक करोड़ चौसठ लाख)
6	जमुई	65.56 (पैंसठ लाख छप्पन हजार)	12.00 (बारह लाख)	77.56 (सतहत्तर लाख छप्पन हजार)
7	समस्तीपुर	148.00 (एक करोड़ अड़तालीस लाख)	88.00 (अठासी लाख)	236.00 (दो करोड़ छत्तीस लाख)
कुल योग		**1910.709 (उन्नीस करोड़ दस लाख सत्तर हजार नौ सौ)**	**417.927 (चार करोड़ सतरह लाख बानवे हजार सात सौ)**	**2328.636 (तेईस करोड़ अठाईस लाख तिरसठ हजार छः सौ)**

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 127 दिनांक 13.12.18 एवं 27 दिनांक 10.01.19 /शेखपुरा के पत्रांक 332 दिनांक 03.12.18, 357 दिनांक 26.12.18 एवं 9 दिनांक 08.01.19/भागलपुर के पत्रांक 969 दिनांक 11.12.18, 972 दिनांक 11.12.18, 970 दिनांक 11.12.18, 968 दिनांक 11.12.18/रोहतास के पत्रांक

350 दिनांक 20.12.18, 34ए दिनांक 30.01.19/जहानाबाद के पत्रांक 11 दिनांक 07.01.19/जमुई के पत्रांक 22 दिनांक 15.01.19/समस्तीपुर के पत्रांक 895 दिनांक 26.12.18 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 एवं 1891/आ0प्र0 दिनांक 16.07.18 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'घटना राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों/घायलों/पशुमालिकों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।**

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. **विभागीय पत्रांक 4310/आ0प्र0 दिनांक 11.12.18 (विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध) द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में उक्त अनुग्रह अनुदान की राशि PFMS प्रणाली के माध्यम से सीधे आपदा पीड़ितों के खाते में हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित किया जाय।**

7 **आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।**

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक–.../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–.
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक–../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक–../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक –../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक–.......................84................/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 11/2/19

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/02/19
अपर सचिव